कार्यालय महालेखाकार (ले॰एवं ह॰), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या-ले.एवं.ह./03/नि.वि./वर्ग-1/विविध/545/2025/खंड-1/1389 दिनांक 18.03.2026

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या ए०ई० -2 /नि०वि०-1 /वर्ग-1 /विविध /45 /खण्ड-1 /407 दिनांक 25.10.2018 के माध्यम से प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों को इस आशय के निर्देश दिये गए थे कि उनके द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका (खंड -6) के प्रस्तर -97 के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाना है।

किन्तु, प्रायः ऐसे मामले संज्ञान में आते रहते है जब उक्त संवर्ग के कार्मिकों द्वारा संदर्भित कार्यालय आदेश दिनांक 25.10.2018 के हवाले से खंडीय अधिकारी /अधीक्षण अभियंता द्वारा पदोन्नति वेतन निर्धारण तथा अन्य वित्तीय मामले के निपटान हेतु गठित समिति के सदस्य के तौर पर नामित किए जाने के उपरांत पद की भूमिका निर्वहन हेतु मना कर दिया जाता है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खंड -6) के प्रस्तर -98 (iii) के अनुसार प्रभागीय लेखाधिकारी /लेखाकार को खंडीय अधिकारी के वित्तीय सलाहकार के रूप में संस्थापन, लेखाओं तथा आय व्यय प्राक्कलनों तथा सामान्य वित्तीय नियमों के संचालन से संबन्धित सभी मामलों में पद की भूमिका का निर्वहन किया जाना है।

अत: निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका (खंड -6) के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार खण्ड के लेखा संबंधी दायित्वों से भिन्न अन्य संस्थापन तथा वित्तीय मामलों के संबंध में भी पद की भूमिका का निर्वहन करना सुनिश्चित करें।

18/3/26

वरिष्ठ उप महालेखाकार /निर्माण

संख्या-ले.एवं.ह./03/नि.वि./वर्ग-1/विविध/545/2025/खंड-1/698-701 दिनांक 18.03.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी /आई०टी०सी०जी०, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त कार्यालय आदेश को इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. समस्त अधिशासी अभियंता कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
4. समस्त प्रभागीय लेखाधिकारी /लेखाकार कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।

वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि०वि०-1